भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 166

18.07.2022 को उत्तर के लिए

आर्द्रभूमि क्षेत्र का संरक्षण और परिरक्षण

166. डॉ. सुजय विखे पाटील :
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी :
श्री श्रीधर कोटागिरी :
श्री कृष्णपालसिंह यादव :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
श्री के. नवासखनी :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिन्दे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में चिह्नित आर्द्रभूमि क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई आर्द्रभूमि क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर लिया गया है और उनमें से कुछ गायब हो गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा आर्द्रभूमि क्षेत्रों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के कारण आर्द्रभूमि क्षेत्र के लिए उत्पन्न खतरे पर ध्यान दिया है; और

(ड.) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट, 2011 के अनुसार, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र- इसरो अहमदाबाद ने लगभग 2,01,503 जलाशयों/आर्द्रभूमियों (>2.25हेक्टेयर) की पहचान की है। इनमें झीलें/तालाब, गोखुर झीलें, अधिक ऊंची और तटवर्ती आर्द्रभूमियां, जलभराव क्षेत्र, नदियां/जल-धाराएं, टैंक, जलाशय, ताल, संकरी खाड़ी, रेत समुद तट, प्रवाल, कच्छ वनस्पति, पंकभूमि, लवण-कुंड, जलीय कृषि तालाब, आदि शामिल हैं। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है। इस सूची के अनुसार नदियों/जलधाराओं सहित अनुमानित कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर है और नदियों/जलधाराओं को छोड़कर लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर है।

(ख) से (ड.): यद्यपि, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जल निकायों (झीलों सहित) के परिरक्षण, संरक्षण और पूर्व स्थिति में बहाली के लिए सभी संभव कदम उठाए जाते हैं, तथापि जल निकायों पर विकासात्मक कार्यकलापों और मानव जनित दबावों का कुप्रभाव निश्चित तौर पड़ता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रतिबंधित किए बिना इसके पारिस्थितिकीय विशेषताओं के संरक्षण, प्रबंधन और रखरखाव के लिए देश भर में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विनियामक ढांचे के रूप में अधिसूचित किया है।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में अभिज्ञात आंर्द्रभूमियों (झीलों सहित) के संरक्षण और प्रबंधन हेतु वर्तमान में केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत साझा करने के आधार पर राष्ट्रीय जलीय पारि-प्रणाली संरक्षण योजना (एनपीसीए) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम में विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं जैसे कि अपशिष्ट जल का अवरोधन, विपथन और शोधन; तटरेखा संरक्षण, झील तट के अग्र भाग का विकास, स्व:स्थाने सफाई अर्थात् गाद हटाना और अपतृण हटाना, बरसाती पानी का प्रबंधन, जैव-उपचार, आवाह क्षेत्र शोधन, झील सौंदर्यकरण, सर्वेक्षण और सीमांकन, जैव-बाड़ लगाना, मत्स्य क्षेत्र विकास, अपतृण नियंत्रण, जैव-विविधता संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता सृजन, समुदाय भागीदारी आदि।

आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करने, पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य कार्ड भरने, आर्द्रभूमि मित्र स्थापित करने और आर्द्रभूमि के स्वास्थ्य और सामना किए जा रहे विशिष्ट खतरों के आधार पर एकीकृत प्रबंधन योजना तैयार करने के चार-आयामी दृष्टिकोण मौजूद हैं। एनपीसीए योजना के तहत, केंद्रीय सहायता दिशानिर्देशों और बजट उपलब्धता के अनुरूप राज्य सरकारों से संक्षिप्त दस्तावेज सहित एकीकृत प्रबंधन योजनाओं के रूप में प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित होती है। अब तक, एमओईएफ एंड सीसी ने देश भर में 164 आर्द्रभूमियों के संरक्षण के प्रस्तावों को मंजूरी दी है और केंद्रीय हिस्से के रूप में लगभग 1066.43 करोड़ रूपये जारी किए है।

आर्द्रभूमियों के लिए अलग से एक वेब पोर्टल (https://indianwetlands.in) विकसित किया गया है। यह पोर्टल ज्ञान साझा करने, सूचना के प्रसार, मेजबान क्षमता निर्माण सामग्री और सूचना प्रसंस्करण हेतु डेटा संग्रह तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करने और उन्हें कुशल और सुगम तरीके से हितधारकों को उपलब्ध कराने को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य को पूरा करने वाला सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना और ज्ञान का मंच है।

मंत्रालय के एक अधीनस्थ संगठन, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (एनसीएससीएम) के तहत आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र (सीडब्ल्यूसीएम) को एक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। इसका लक्ष्य आर्द्रभूमि उपयोगकर्ताओं, प्रबंधकों, शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं और प्रैक्टिश्नर्स के बीच संबंधित ज्ञान का आदान-प्रदान करने में समर्थ बनाना है तथा नीति और विनियामक ढांचे, प्रबंधन योजना, निगरानी और विशेष रूप से आर्द्रभूमि से संबंधित लक्षित अनुसंधान के डिजाइन और कार्यान्वयन में राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की सहायता करना हैं।

*****

अनुबंध-I

'आर्द्रभूमि क्षेत्र के संरक्षण और परिरक्षण' के संबंध में दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 166 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भारत में राज्यवार आर्द्रभूमि वितरण

(नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट, 2011)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	आर्द्रभूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	राज्य का भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत में
1	लद्दाख सहित जम्मू और कश्मीर	222111	391501	1.76
2	हिमाचल प्रदेश	55673	98496	1.77
3	पंजाब	50362	86283	1.71
4	चंडीगढ़	114	350	3.07
5	उत्तराखंड	53566	103882	1.94
6	हरियाणा	49663	42478	0.86
7	दिल्ली	2966	2771	0.93
8	राजस्थान	342269	782314	2.29
9	उत्तर प्रदेश	240928	1242530	5.16
10	बिहार	91689	403209	4.40
11	सिक्किम	7096	7477	1.05
12	अरुणाचल प्रदेश	87658	155728	1.78
13	नागालैंड	16521	21544	1.30
14	मणिपुर	22327	63616	2.85
15	मिजोरम	21087	13988	0.66
16	त्रिपुरा	11040	17542	1.59
17	मेघालय	22420	29987	1.34
18	असम	78438	764372	9.74
19	पश्चिम बंगाल	88805	1107907	12.48
20	झारखंड	79714	170051	2.13
21	ओडिशा	153845	690904	4.49
22	छत्तीसगढ	135194	337966	2.50
23	मध्य प्रदेश	308414	818166	2.65
24	गुजरात	197841	3474950	17.56
25	दमन और दीव	112	2068	18.46
26	दादरा और नगर हवेली	487	2070	4.25
27	महाराष्ट्र	307748	1014522	3.30
28	आंध्र प्रदेश	275045	1447133	5.26
29	कर्नाटक	191791	643576	3.36
30	गोवा	3702	21337	5.76
31	लक्षद्वीप	828	79586	96.12
32	केरल	38863	160590	4.13
33	तमिलनाडु	130409	902534	6.92
34	पुदुचेरी	492	6335	12.88
35	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8249	152809	18.52
	कुल	**3297467 (~329.74एमएचए)**	**15260572 (~15.26एमएचए)**	**4.63**